I/8921/2022

संख्या– 135/ESTB/31/2022-XVII-A-3/06(39)/2005

प्रेषक,

एल0 फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव,
 उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
 उत्तराखण्ड।

3. समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी,
 उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–03 देहरादून : दिनांक 05 दिसम्बर, 2022

विषयः उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त दिव्यांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–488/XVII-2/2010–06(39)/ 2005 दिनांक 19.08.2010 के द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम (दिव्यांग) कार्मिकों को कार्य स्थल (कार्यालय) आने तथा वापस जाने में होने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया था तथा इसे वाहन व्यय प्रतिपूर्ति का नाम दिया गया था।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सराकर के अधीन कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को पूर्व निर्धारत शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न स्तम्भ–3 में उल्लिखित दर के स्तम्भ–4 के अनुसार दरों में वाहन भत्ता को पुनरीक्षित किये जाने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.सं.	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	शासनादेश–488 दिनांक 19.08.2010 के अनुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की अनुमन्य करायी जा रही दरें (रू0 प्रतिमाह)	वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दर (रू0 प्रतिमाह)
1	2	3	4
1.	लेवल–1 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 1800/– तक	रू0 300/–	रू0 600/–
2.	लेवल–2 से लेवल–5 तक (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 1900, 2400, 2800)	रू0 400/–	रू0 800/–

3.	लेवल –6 एवं अधिक (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 4200)	रू0 500 / –	रू0 1000 / –

3. उपरोक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप जो भी अतिरिक्त व्यय भार बढ़ेगा उसे सम्बन्धित विभाग अपने–अपने आय–व्ययक से सम्बन्धित लेखाशीर्षक / प्राथमिक इकाई में तदनुसार बजट व्यवस्था से और व्यवस्था न होने पर व्यवस्था कराकर वहन करेंगे।

4. उक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से लागू होंगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–I 76900 2022 दिनांक 14 नवम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by L Fanai
Date: 05-12-2022 13:46:01

(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या– ✓ / ESTB/31/2022-XVII-A-3/06(39) / 2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
6. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–03 एवं 07, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।